



‘ऑनलाइन वविाद समाधान’ को बढ़ावा देना

प्रिलमिस के लयि

ऑनलाइन वविाद समाधान

मेन्स के लयि:

ऑनलाइन वविाद समाधान से संबंघति तथ्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [नीति आयोग](#) (National Institution for Transforming India- NITI Aayog) ने ‘आगामी और ओमदियार नेटवर्क इंडिया’ (Agami and Omidyar Network India) के साथ मलिकर ‘ऑनलाइन वविाद समाधान’ (Online Dispute Resolution- ODR) को आगे बढ़ाने हेतु वर्चुअल बैठक आयोजति की गई ।

प्रमुख बदि:

- गौरतलब है क वर्चुअल बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के वरषिठ न्यायाधीश, प्रमुख सरकारी मंत्रालयों के सचवि, उद्योगजगत के अग्रणी लोग, कानून के वशिषज्ज और प्रमुख उद्यमयिों ने भाग लयि ।
- इस बैठक का सामान्य वषिय भारत में ‘ऑनलाइन वविाद समाधान’ को आगे बढ़ाने के प्रयास सुनश्चिति करने के लयि सहयोगपूर्ण रूप से कार्य करने की दशिा में बहु-हतिधारक सहमतिकायम करना था ।
- ‘ऑनलाइन वविाद समाधान’ (Online Dispute Resolution- ODR):
 - ऑनलाइन वविाद समाधान तंत्र से तात्पर्य वैकल्पिक वविाद समाधान (Alternate Dispute Resolution- ADR) की डजिटल तकनीक का उपयोग कर वशिष रूप से छोटे और मध्यम कसिम के वविादों का बातचीत, बीच-बचाव और मध्यस्थता के माध्यम से समाधान करना है ।
 - इस वधि में वविादों के समाधान की सुवधि के लयि सभी पक्षों द्वारा ऑनलाइन प्रौद्योगकियिों का उपयोग कयिा जाता है ।
 - ऑनलाइन वविाद समाधान वविादों को कुशलतापूर्वक और कफायती तरीके से सुलझाने में मददगार साबति हो सकता है ।
 - ‘ऑनलाइन वविाद समाधान’ सुवधिाजनक, सटीक, समय की बचत करने वाला और कफायती है ।

ऑनलाइन वविाद समाधान की आवश्यकता क्यों?

- भारतीय न्यायपालकिा देश में लंबति मामलों में हो रही वृद्धिकी समस्या से जूझ रही है तथा जजों की कमी से नागरकिों को भी समय पर न्याय नहीं मलि पाता है ।
- इसके अतरिकित उच्चतम न्यायालय को भी सामान्य मामलों से मुक्तिकी ज़रूरत है ताकविह अपने संवधिान के आदर्शों को बनाए रखने के कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रति कर सके ।
- न्यायालय की प्रक्रयिा आम आदमी हेतु आर्थक दृष्टा से वहनीय नहीं होती तथा सुनवाई हेतु कई बार न्यायालय में उपस्थति होने से इनकी आजीवकिा भी प्रभावति होती है ।

ऑनलाइन वविाद समाधान के लाभ:

- न्यायालय के लंबति मामलों में कमी आएगी ।
- नागरकिों की न्याय तक सुलभ और सस्ती पहुँच सुनश्चिति होगी ।
- ‘ऑनलाइन वविाद समाधान’ से मुकदमों को हल करने में तेज़ी आएगी तथा नागरकिों को त्वरति न्याय की प्राप्ति होगी ।
- न्यायालयों की अवसंरचना संबंधी खर्च में कमी आएगी ।
- सुवधिाजनक, सटीक, समय की बचत और लागत-बचत ।

ऑनलाइन वविाद समाधान के चुनौतियाँ:

- देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुँच एक बड़ी समस्या है, जिसका समाधान किये बिना ऑनलाइन वविाद समाधान तंत्र के वसितार की कल्पना भी नहीं की जा सकती ।
- भारत में ऑनलाइन मध्यस्थता के कार्यान्वयन की राह में शक्तिषा की कमी और प्रौद्योगिकी तक पहुँच न होना एक और बड़ी समस्या है ।
- तकनीक का असमान वतिरण अर्थात् सभी तक तकनीक की एक जैसी पहुँच न होना भी 'ऑनलाइन वविाद समाधान' के राह की एक अन्य बड़ी बाधा है ।
- विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और ई-कॉमर्स के अवसरों का असमान वतिरण इस तंत्र की स्वीकृति और मान्यता को बाधति करता है ।

वर्तमान परदिश्य में महत्त्व:

- COVID-19 महामारी के पश्चात् नागरिकों को न्याय तक कुशल और कफियती पहुँच उपलब्ध कराने हेतु 'ऑनलाइन वविाद समाधान' के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग कयिा जा सकता है ।
- COVID-19 महामारी के दौरान ODR के माध्यम से COVID-19-संबंधी वविादों (वशेष रूप से ऋण, ऋण, संपत्ति, वाणजिय और खुदरा क्षेत्र में) का नपिटारा करना जो आर्थिक पुनरुद्धार का एक महत्त्वपूर्ण हसिा है ।

आगे की राह:

- भवषिय में न्यायपालिका के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लयि उचित उपाय कयिे जाने चाहयिे । यदई ऐसा नहीं कयिा गया तो भारत में ऑनलाइन वविाद समाधान केवल एक सदिधांत बनकर रह जाएगा ।
- नागरिकों को सूचना एवं तकनीक से जोड़ने हेतु उन्हें प्रशक्तिषति करने के प्रयास कयिे जाने चाहयिे ।
- भवषिय एक हाइबरडि मॉडल होगा जो वास्तवकि और आभासी दुनयिा का सबसे अच्छा संयोजन होगा । हाइबरडि ससि्टम के करयिान्वयन हेतु न्याय वतिरण की पूरी प्रक्रयिा को नए सरिे से तैयार करना होगा ।

स्रोत: पीआईबी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/catalyzing-online-dispute-resolution-in-india>

